

कायालिय नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग(छ.ग.)

क्रमांक/सम्पदा/2020/2357

// भूखंड नीलामी सूचना //

भिलाई-चरौदा, दिनांक 14.02.2020

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, निगम क्षेत्रांतर्गत निहारिका व्यावसायिक परिसर भिलाई-03 में भूखंडों की आम नीलामी दिनांक 28.02.2020 एवं 29.02.2020 को समय 12.00 बजे निगम सभागार कक्ष में 30 वर्षीय लीज पर सार्वजनिक घोष विक्रय द्वारा आर्बांटित किया जाना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	नीलामी दिनांक	भूखंड की संख्या	ब्लाक क्रमांक	भूखंड क्रमांक	भूखंड का आकार	धरोहर राशि	सरकारी बोली
1	2	3	4	5	6	7	8
1	28.02.2020	13	1A 3A	11 3,5,7,8,10,11,12, 13,15,17,18,19	3x4.5 मी=13.5 व.मी.	50,000.00	5,9,000.00
2	29.02.2020	13	3A 4A	20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29 7,11,12	तदैव	50,000.00	5,9,000.00

सामान्य शर्तेः-

- नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को धरोहर राशि नगद/ड्राइपट नीलामी प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व जमा करना होगा। उच्चतम एवं द्वितीय क्रम बोलीदाता का धरोहर राशि रोककर शेष बोलीकर्ता का धरोहर राशि नीलामी समाप्ति पश्चात् वापस कर दी जावेगी।
- नीलामी संबंधी नियम शर्तें का विस्तृत जानकारी निगम के संपदा विभाग से अवलोकन किया जा सकता है, अथवा रूपये 100 जमा कर नियम शर्त का प्रति प्राप्त कर सकते हैं, इस संबंध में नीलामी शर्त कंडिका क्र. 01 से कंडिका क्र. 33 लागू होगी।
- बोलीदाता को सरकारी बोली से अधिक राशि पर बोली प्रारंभ करना होगा।
- किसी भी बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा के पास सुरक्षित होगा।
- उक्त तिथि में नीलामी न होने पर शेष बचे भूखंडों का आम नीलामी दिनांक 02.03.2020 को नीलामी की कार्यवाही संपत्र की जावेगी।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई-चरौदा

//कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग) //

E-mail ID- cmohilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-22

निहारिका व्यावसायिक परिसर, भिलाई-03

भूखंडों की आम नीलामी की नियम व शर्तें

निहारिका व्यावसायिक परिसर, भिलाई-03 में स्थित अधिकतम प्रब्याजी राशि हेतु आम नीलामी द्वारा आबंटन निर्धारित भू-भाटक पर किये जाने हेतु नियम एवं शर्तें :-

- प्रतिभूति निक्षेप की ऐसी राशि जो निगम इस शर्त के अध्यधीन रहते हुये विनिश्चित करें, कि ऐसी राशि नीलामी/प्रस्ताव के अनुमानित मूल्य के 10% से कम नहीं होगी। यथाशीघ्र प्रत्येक बोली लगाने वाले या प्रस्ताव करने वाले द्वारा बैंक ड्राप्ट या बैंकर चेक/नगद के माध्यम से आवश्यक रूप से नीलामी प्रारंभ समय से 01 घंटा पूर्व जमा की जायेगी अन्यथा व्यक्ति नीलामी में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होगा और इसी प्रकार उक्त प्रतिभूति निक्षेप के बिना प्रस्ताव ग्रहण नहीं किये जायेगे।
- उच्चतम बोली/प्रस्ताव (अचल सम्पत्ति अंतरण) नियम 1994 छ0ग0 नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की धारा 433 के साथ पठित धारा 80 तहत् यथानिर्दिष्ट प्राधिकारियों की मंजूरी के अध्यधीन होगा।
- उपरोक्त शर्तें (दो) में यथानिर्दिष्ट प्राधिकारी किसी उच्चतम बोली/प्रस्ताव को मंजूर करने के लिये बाध्य नहीं होंगे।
- यथास्थिति नीलामी समाप्त होने पर या प्रस्ताव खोले जाने के तत्काल पश्चात प्रथम दो उच्चतम बोली बोलने वालों/प्रस्ताव करने वालों की प्रतिभूति निक्षेप को छोड़कर शेष सभी के प्रतिभूति निक्षेप तत्काल वापस कर दिये जायेंगे।
- जैसे ही प्रथम उच्चतम बोलीदार/प्रस्तावकर्ता से नीलामी/प्रस्ताव का पूर्ण मूल्य प्राप्त हो जाता है, तब शेष बचे द्वितीय उच्चतम बोली लगाने वाले/प्रस्ताव करने वाले की प्रतिभूति निक्षेप को भी वापस कर दिया जाएगा। प्रतिभूति निक्षेप की जमा राशियों पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- यदि शर्तें (दो) में यथानिर्दिष्ट प्राधिकारी की यह राय हो कि द्वितीय उच्चतम बोली या प्रस्ताव स्वीकृत करने के बजाय पुनः नीलामी किया जाना या प्रस्ताव आमंत्रित किया जाना आवश्यक है, तब ऐसे द्वितीय बोलीकर्ता/प्रस्ताव करने वाले के प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदाय कर दिया जाएगा और पुनः नीलामी या पुनः बंद लिफाफे में प्रस्ताव आंमंत्रण करने की कार्यवाही की जावेगी।
- सफल बोलीदार को भूखंड का कब्जा प्राप्त करने के पूर्व अनुबंध/पंजीयन में होने वाले मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क तथा अन्य खर्चें भी लीजधारी को वहन करना होगा।
- सफल बोलीदार निर्धारित अवधि में शेष प्रब्याजी प्रीमियम राशि जमा न करे या भूखंड का कब्जा प्राप्त न करे, तो निगम जमा राशि को राजसात कर बोली को रद्द कर पुनः नीलामी कर सकेगी।

पूर्व नीलामी राशि से यदि कम बोली आएगी तो नुकसानी के लिये प्रथम बोलीदार उत्तरदायी होगा। हानि की वसूली नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत रीति निगम वसूल करेगी।

9. लीजधारी लीज पर ली गई भूखंड की लीज अवधि में किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं करेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को उसका कब्जा देगा। आबंटित प्लाट का उपयोग व्यवसाय के लिये ही करेगा। यदि लीजधारी लीज अवधि में किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करना चाहेगा, तो इसकी सूचना निगम को देकर एवं निगम से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। नियमों के तहत नामांतरण की कार्यवाही की जावेगी।
10. भूखंड की दशा में लीजधारी भूखंड के मूल स्वरूप को नगर पालिक निगम की लिखित अनुमति के बगैर परिवर्तित नहीं कर सकेगा। नल कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन रखरखाव एवं संधारण स्वयं के व्यय से करना होगा।
11. प्लाट का वार्षिक लीज रेन्ट सफल बोली (स्वीकृत होने पर) का 05 प्रतिशत की दर से निगम को भुगतान करना लीजधारी के लिये आवश्यक होगा।
12. आबंटित भूखंड की लीज अवधि 30 वर्षीय होगी तथा लीज अवधि समाप्ति उपरांत आगामी अवधि के लिये आबंटित भूखंड का लीज नवीनीकरण नियमानुसार किया जा सकेगा तथा नवीनीकरण तिथि से प्रचलित लीज रेन्ट में 50% वृद्धि नियमानुसार की जावेगी।
13. लीज अवधि में यदि लीजधारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके द्वारा नामांकित अथवा उसके वैध उत्तराधिकारी के नाम पर लीज हस्तांतरण बगैर शर्त के प्रावधानों को लागू किये सामान्य रूप से कर दिया जावेगा।
14. लीजधारी को निगम अथवा किसी भी विभाग द्वारा लगाये जाने वाले कर/फीस का भुगतान करना होगा।
15. वर्णित किसी भी शर्त का लीजधारी द्वारा उल्लंघन किये जाने पर उसे निगम द्वारा आर्थिक रूप से दण्डित किया जा सकेगा तथा लीज समाप्त किये जाने के संबंध में भी विचार किया जा सकेगा।
16. नीलामी की कार्यवाही में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा के आदेश अंतिम होंगे तथा लीज का आबंटन सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के अधीन होगा।
17. निहारिका व्यावसायिक परिसर योजना में रिक्त भूखंड की नीलामी अधिकतम प्रब्याजी राशि के लिये 30 वर्षों के लीज पर की जावेगी। यह राशि अहस्तांतरणीय या वापसी योग्य नहीं होगी। शासन से आम नीलामी की सक्षम स्वीकृति मिलने के पश्चात् संपूर्ण प्रब्याजी राशि 100 प्रतिशत निगम कोष में जमा कर 30 दिनों के भीतर स्वयं के व्यय पर पंजीयन कराना होगा।
निर्धारित अवधि में पंजीयन की कार्यवाही नहीं किये जाने पर आबंटित भूखंड निरस्त माना जावेगा, और जमा की गई संपूर्ण राशि राजसात कर ली जावेगी। जिसके आप स्वतः जिम्मेदार होंगे। आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा द्वारा आबंटिती के आवेदनानुसार चाहे तो शेष प्रब्याजी राशि जमा करने के लिये 15 दिवस का अतिरिक्त समय दे सकता है, यह उनके विशेषाधिकार पर निहित है। पट्टा निष्पादन होने के पश्चात् भी प्रति वर्ष 05% प्रतिशत भू-भाटक राशि पहली अप्रैल को जमा करना होगा।

क्रमांक:-03

18. नीलामी नगर पालिक निगम, कार्यालय में आयुक्त नगर पालिक निगम अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में संपन्न की जावेगी।
19. नीलामी परिसर में उपस्थित रहने और भाग लेने का अधिकार उन व्यक्तियों को होगा, जिन्होंने नीलामी बोलने के लिये धरोहर राशि जमा की है।
20. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो भूखंडों का मुआयना कर ले और नीलामी तथा आबंटन की सभी शर्तें पढ़कर समझ ले। नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों के संबंध में यह माना जावेगा कि उन्होंने नीलामी और आबंटन की सभी शर्तें पढ़कर समझ लिया है। निगम के आयुक्त, नगर पालिक निगम या उनके द्वारा अधिकृत नीलामी प्रभारी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी भूखंड की नीलामी किसी भी स्तर पर रोक सकेंगे। पुनः बोली करवा सकेंगे। उनके लिये यह भी आवश्यक नहीं होगा। क समस्त उद्घाषित भूखंडों की नीलामी करें।
21. सामान्यतः प्रत्येक भूखंडों की नीलामी के लिये अलग-अलग धरोहर राशि जमा करनी चाहिए, किन्तु जिस बोलीदारों द्वारा नीलामी के पहले क्रम में भूखंडों की धरोहर राशि जमा कराई गई है, एवं बोली की है, उनकी उच्चतम नहीं है, तो वे दूसरे क्रम की नीलामी में भाग ले सकते हैं।
22. नीलामी के पूर्व प्रत्येक भूखंडों के लिए निगम द्वारा सरकारी बोली निर्धारित की गई है। इस राशि से अधिक की राशि के लिये ही नीलामी की बोली प्रारंभ की जावेगी।
23. उच्चतम बोलीदाता की नीलामी के तुरंत बाद उच्चतम बोली की एक चौथाई राशि 24 घंटे के भीतर जमा करना होगा। यह राशि धरोहर राशि के अतिरिक्त होगा। यह राशि सुरक्षा राशि के रूप में होगी और नीचे लिखे कंडिकाओं में इसी नाम से संदर्भित होगी जो बोली स्वीकार किये जाने की दशा में पंजीयन के समय प्रब्याजी की राशि में समायोजन कर ली जावेगी। किन्तु बोली स्वीकार न किये जाने की दशा में वापस कर दी जावेगी।
24. यदि बोली की एक चौथाई राशि बोलीदाता नीलामी के बाद 24 घंटे के भीतर जमा करने में असमर्थ रहते हैं, तो उनकी धरोहर राशि निगम कोष में राजसात कर ली जावेगी।
25. नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता को चाहिए कि वे अपना सही-सही और पूर्ण डाक का पता लिखित में अवगत करावें और पुष्टि प्राप्त कर संतुष्ट हो जाये कि उक्त पते में उन्हें डाक प्राप्त हो जावेगी।
26. विभिन्न भूखंडों का क्रमांक आकार धरोहर राशि निम्नांकित अनुसूची में वर्णित है।

क्र.	ब्लाक क्र.	भूखंड क्रमांक	आकार	भूखंडों की संख्या	धरोहर राशि प्रति भूखंड	सरकारी बोली राशि प्रति भूखंड
1.	01ए	11	<u>3x4.5</u> मी.	01	51,000/-	<u>5,08,410/-</u>
2.	03ए	3,5,7,8,10,11,12,13,15,17,18,19, 20,21, 22, 23,24,25,26,27,28,29	<u>3x4.5</u> मी.	22	51,000/-	<u>5,08,410/-</u>
3.	04ए	7, 11,12,	<u>3x4.5</u> मी	03	51,000/-	<u>5,08,410/-</u>

गुदानियाल
कुल गुदानियाल
क्रमांक /

27. प्रब्याजी की संपूर्ण राशि आबंटन पश्चात जमा कर एवं स्थाई पट्टे का निष्पादन कर भूखंड का अधिपत्य प्राप्त किया जा सकता है।
28. नीलामी के नियम शर्तों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा के पास सुरक्षित रहेगा।
29. निगम द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जो भी नियम बनाये जायेंगे लागू होगा तथा मान्य होगा।
30. संपूर्ण नीलामी (आम नीलामी) का किसी अंश को बिना कारण बताये स्वीकृत करने या न करने का अधिकार निगम को होगा।
31. निगम द्वारा बोली समाप्त होने के पश्चात नियमानुसार राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त की जावेगी। स्वीकृति प्राप्त होने के बाद यह माना जावेगा, कि बोलीदार को उस संपत्ति के पट्टे का अधिकार नियमानुसार प्राप्त होंगे। यदि राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तब बोलीदार को उक्त भूखंड पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा व बिना ब्याज क्षतिपूर्ति के नीलामी के समय जमा की गई राशि को प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा इस पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
32. किसी भी विवाद की स्थिति में निगम का निर्णय अंतिम होगा।
33. शासन से ऊपर वर्णित नीलामी की विधि अनुसार स्वीकृति मिलने पर ही सक्षम बोलीदार आबंटन का पात्र होगा, अन्यथा जमा राशि वापस होगी।

नीलामी सूचना क्रमांक.....दिनांक.....के अधीन नियम एवं शर्तें थी।
.....को जारी की गई।

AB

आयुक्त

नगर पालिक निगम
*G*भिलाई-चरौदा